न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील रसद प्रकरण संख्या 09/2020 (GCMS 2020/00193)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संजीव कुमार पुत्र श्री जयचन्द जाति अरोड़ा आयु 38 वर्ष निवासी चूनावढ़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 94132–2[illegible]

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला रसद अधिकारी, श्री[illegible]र

23.06.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिह भनोत एवं विभागीय प्रतिनिधि श्रीमती पूजा अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत ने कथन किया कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान पोस मशीन संख्या 2379, चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा कथित रूप से उप–तहसीलदार, चूनावढ़ की रिपार्ट पर अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निलम्बित किया जाकर नोटिस दिनांक 05.08.2020 के द्वारा रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का राशन वितरण के सम्बन्ध में आक्षेप लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.08.2020 कासे तथ्यों के साथ अपना उत्तर प्रस्तुत किया परन्तु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत स्पष्टीकरण को पर्याप्त न मानते हुए अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापत्र संख्या 744/2008 निरस्त किया गया था, जिसे बहाल करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:41 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे [illegible] अपीलाधीन आदेश में जिला रसद अधिकारी के द्वारा अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने के सन्दर्भ में विवेचना

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की गयी कि अपीलार्थी के द्वारा दोहरे राशन कार्डों, मृतक यूनिट कार्डधारियों के अनुसार 75 किलोग्राम गेहूं व 292.50 लीटर केरोसीन का वितरण नहीं किया गया है और इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा किसी भी उपभोक्ता को स्वयं अथवा उसका कोई सन्तुष्टि पत्र पेश नहीं किया गया है और इस कारण वितरण की गयी सामग्री की राशि वसूल किये जाने के साथ–साथ अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये। जिला रसद अधिकारी के द्वारा इस सम्बन्ध में न तो कोई विवेचना की गई और न ही किसी प्रकार की जांच की गयी।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा वितरण पोस मशीन के माध्यम से किया गया है और पोस मशीन की जांच से वितरण की पुष्टि की जा सकती थी और दोहरे राशन कार्डों का जहां तक प्रश्न है, दोहरे राशन कार्ड का बनाया जाना अपीलार्थी के क्षेत्राधिकार की विषयवस्तु नहीं है और राशन कार्ड पर गेहूं और केरोसीन का वितरण पोस मशीन के माध्यम से किया जाना अपीलार्थी का दायित्व है और अपीलार्थी के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि जहां तक मृतक राशन कार्ड में व्यक्तियों की प्रविष्टि का प्रश्न है, इसका भी कोई सम्बन्ध अपीलार्थी से नहीं हो सकता, क्योंकि राशन कार्डधारी व्यक्ति के राशन कार्ड में जिन सदस्यों के नाम अंकित होते हैं, उन सदस्यों में वे सदस्य, जो आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं, पोस मशीन के माध्यम से गेहूं, तेल आदि प्राप्त करने के लिए अधिकृत होते हैं। उस राशन कार्ड में यदि कोई व्यक्ति मृतक है, तो उसके नाम को कटवाने का दायित्व राशन कार्डधारी व्यक्ति का होता है, उसके लिए किसी भी प्रकार से अपीलार्थी पर कोई दायित्व नहीं हो सकता। आदेश 1976 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

तहत राशन कार्ड राजकीय सम्पत्ति होती है और उपभोक्ता उसका मात्र धारक होता है और यदि उसका दुरुपयोग किया जाता है तो उसके लिए सम्बन्धित उपभोक्ता अभियोजन का भागी हो सकता है। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी के उक्त तथ्यों की उपेक्षा की जाकर, अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है, जिसे बहाल किया जाने की प्रार्थना की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी के द्वारा पोस मशीन के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गयी और मात्र यह कथन करना कि अपीलार्थी के द्वारा किसी उपभोक्ता को पेश नहीं किया गया है और न ही सन्तुष्टि पत्र प्रस्तुत किया गया है, यह विवेचना बिल्कुल गलत है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रकार जिला रसद अधिकारी का आदेश बिल्कुल तथ्यों के विपरीत और बिना किसी जांच और पोस मशीन के माध्यम से किये गये वितरण के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं किये जाने के कारण न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी के द्वारा आदेश 1976 एवं उक्त आदेश के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्र की किसी भी शर्त की कोई उल्लंघना नहीं की गयी, इसलिये जिला रसद अधिकारी का आदेश पोषणीय नहीं होने के कारण, अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बहान करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 20.05.2020 को तहसील गंगानगर की ग्राम पंचायत चुनावढ़ के ग्रामवासीयो द्वारा उचित मूल्य दुकान संजीव कुमार/जयचन्द पोस मशीन कोड 2379 के विरुद्ध राशन वितरण की अनियमितता के संबंध में तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर को शिकायत प्रस्तुत की जिसके क्रम में आदेशानुसार तत्कालीन उपतहसीलदार चुनावढ़ द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 15.06.2020 के अनुसार जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर के पत्रांक 7131 दिनांक 19.06.2020 द्वारा उक्त उचित मूल्य दुकानदार को राशन वितरण में अनियमितता के कारण निलंबित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत में बयान किये गये उपभोक्ताओं के राशन कार्डो की विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन जांच की गयी। उपभोक्ता खानचंद पुत्र श्री साधुराम द्वारा स्वयं का दोहरे राशन कार्ड का बना होना बताया जिसमें एक राशन कार्ड संख्या 006458600320 कार्ड श्रेणी बीपीएल पर माह अप्रैल 2020 में कोविड–19 काल में 35 किलो गेहूं का वितरण बिना आधार बायोमैट्रिक व ओटीपी के द्वारा पीओएस मशीन 2379 से होना पाया गया है जो कि उपभोक्ता द्वारा न उठाकर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उठाया गया है। वर्तमान में उक्त राशन कार्ड एनएफएसए योजना में अपात्र है।

उनका आगे यह भी कथन है कि विभिन्न उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पीओएस मशीन संख्या 2379 से बिना आधार बायोमेट्रिक व ओटीपी के नियमित गेहूं, दाल एवं केरोसीन को उपभोक्ताओं द्वारा न उठाया जाकर उचित मूल्य दुकानदान स्वयं द्वारा उठाया गया है, जिनमें उदाहरण के रूप में कुछ उपभोक्ताओं का विवरण निम्नानुसार हैः

उपभोक्ता का नाम	राशन कार्ड संख्या	अतिरिक्त वितरण	राशन कार्ड एनएफएसए योजना का पात्र/ अपात्र
अमरजीत पुत्र कैलाश	006457600108	गेहूं–20 किलों केरोसीन 2.5लीटर	पात्र
जगदीश पुत्र ईश्वर	006457600326	गेहूं–15 किलों दाल 1 किलो	पात्र
ईश्वर	006458600063	गेहूं–15 किलों दाल 1 किलो	पात्र
लालचन्द	200000553764	गेहूं–20 किलों दाल 1 किलो	पात्र
कुलविन्द्र पुत्र लालचन्द	200000553550	गेहूं–50 किलों दाल 1 किलो	–
मेनिका	200000628532	गेहूं [illegible]	पात्र
सुनील कुमार	00645[illegible]	[illegible] किलों दाल 1 [illegible]लो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि खाद्य विभाग के आदेश दिनांक 18.03.2020 द्वारा कोरोना वायरस बीमारी के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पोस मशीन से राशन वितरण की व्यवस्था बायोमेटिक सत्यापन के स्थान पर ओटीपी से करने हेत निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के बिंदू संख्या 03 में निर्देश किया गया कि यदि लाभार्थी डीलर को तय सीमा में ओटीपी उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो डीलर द्वारा पोस मशीन 2379 पर उपलब्ध करवाये गये 03 विकल्प/कारण में से एक को चुनते हुए राशन का वितरण किया जा सकेगा। अतः उचित मूल्य दुकानदार संजीव पुत्र श्री जयचंद द्वारा उक्त आदेशों का स्वार्थवश दुरुपयोग किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानदार संजीव पुत्र श्री जयचंद द्वारा केरोसीन का पीओएस मशीन 2379 से ऑनलाईन ट्रांजेक्शन करने के पश्चात भी उपभोक्ताओं मे वितरण करना नहीं बताया गया। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण हेतु सितम्बर 2016 में पीओएस मशीन लागू होने के पश्चात् तथा स्मॉक फ्री राज्य बनाने के क्रम में पूरे राजस्थान के जिलों में आवंटित केरोसीन की मात्रा आवश्यकतानुसार धीरे–धीरे कम की गयी जिससे जिलो में आवश्यकतानुसार ही उचित मूल्य दुकानों को केरोसीन आवंटित किया जाता था। श्रीगंगानगर जिले में भी उचित मूल्य दुकानदारों को मांग अनुसार केरोसीन का आवंटन किया जाता था। चूंकि तत्समय केरासीन का वितरण पूरे जिले में असमान रूप से अर्थात् हर ग्राम पंचायत/वार्ड में उपभोक्ता के राशनकार्ड में गैस कनेक्शन के प्रकार (हां या नहीं) के अनुसार होता था। उचित मूल्य दुकानदार संजीव पुत्र जयचन्द द्वारा केरोसीन वितरण की असमान स्थिति का फायदा लिया गया व उप[illegible] में विभाग द्वारा केरोसीन उपलब्ध नहीं कराने के बारे [illegible] राशनकार्ड पर गेहूं के साथ केरासीन का ट्रांसेक[illegible] लिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:41 IST
Reason: SelfAttested

(Manju)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि उचित मूल्य दुकानदार संजीव कुमार पुत्र श्री जयवंद को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जवाव दिनांक 1708.2020 को श्री संजीव कुमार द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। उधित मूल्य दुकानदार का जवाब संतोषजनक नहीं जाने पर उचित मूल्य दुकानदार संजीव कुमार पुत्र श्री जयचंद ग्राम पंचायत चूनावढ़ श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 व इस आदेश तक तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 15 व 17(ख)(ग) का उल्लंघन करने के कारण उसे जारी प्राधिकार पत्र संख्या 744/2008 को खाद्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.01.2012 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द किया गया तथा प्राधिकार पत्र की निक्षेप प्रतिभूति राशि का समपहरण किया गया। इसलिए उचित मूल्य दुकानदार संजीव कुमार पुत्र जयचन्द जाति अरोड़ा निवासी चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का प्राधिकार पत्र निरन्त करने संबंधी निर्णय को यथावत रखने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उचित मूल्य दुकानदार संजीव कुमार पुत्र जयचन्द की शिकायत की जांच दिनांक 15.06.2020 में प्रार्थी संजीव कुमार पुत्र जयचंद ग्राम पंचायत चूनावढ़ (पोस मशीन संख्या 2379) श्रीगंगानगर द्वारा दोहर राशनकार्डो, मृतक यूनिट कार्डधारियों के अनुसार लगभग 75 किलो ग्राम गेहूँ व 292.50 लीटर केरोसीन का वितरण न किया जाकर, स्वयं द्वारा उठाया गया है। जबकि किसी भी उपभोक्ता को बिना बायोमेट्रिक/ओटीपी सत्यापन के उपरान्त ही राशन सामग्री वितरित की जा सकती है, अधिकार उक्त डीलर द्वारा खाद्य विभाग के अदेश दिनांक 18.03.2020 की अवहेलना की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के आदेशांक एफ13(49)खा. वि./आवंटन/2015—।। दिनांक 05.08.2016 की व्यवस्था को अपने संशोधित आदेश दिनांक 24.03.2017 से विलोपित कर दिया व आदेश किया कि अप्रैल 2017 से पोस मशीन पर आधार बोयामैट्रिक सत्यापन उपरान्त ही राशन सामग्री वितरण किया जा सकेगा एवं खाद्य विभगा के आदेश दिनांक 18.03. 2020 द्वारा कोराना वायरस बीमारी के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पोस मशीन के राशन वितरण की व्यवस्था बायोमैट्रिक सत्यापन के स्थान पर ओटीपी से करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी उचित मूल्य दुकानदार संजीव पुत्र जयचंद ने पालना नहीं की।

उचित मूल्य दुकानदार संजीव पुत्र जयचंद ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील श्रीगंगानगर द्वारा राशन वितरण संबंधी कार्य नियमानुसार व राजस्थान खाद्यान व अन्य आवश्यक वस्तुऐं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 6 व इस आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 15 व 17(ख)(ग) का उल्लंधन करने के कारण उचित मूल्य दुकानदार संजव पुत्र जयंचद ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और अपीलार्थी/उचित मूल्य दुकानदार संजीव पुत्र जयचन्द ग्राम पंचायत चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का प्राधिकार पत्र रद्द किया जाता है और जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश 25.08.2020 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति मय उनके न्यायालय का मूल रिकॉर्ड जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:00:41 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर